श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 03-07-2018 को आहूत जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद-सह-केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जी का हार्दिक स्वागत किया गया। साथ ही बैठक में उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारयों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष से बैठक के दिशा-निर्देश के लिए अनुरोध किया गया।

विभिन्न कारणों से लम्बे समय के बाद (एक वर्ष) 'जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा)' की बैठक हो रही है। यह बैठक जिला के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति समीक्षा के माध्यम से की जा सकेगी। साथ ही सम्मानित सदस्यगण एवं जनप्रतिनिधिगण क्षेत्रों की समस्या लेकर आए होंगे जिस पर बैठक में चर्चा कर समाधान की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का दिये गये निदेश के आलोक में परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात गत बैठक (15.07.2017) के अनुपालन एवं अन्य निर्धारित विषयों के अद्यतन स्थिति की निम्नवत समीक्षा की गयी एवं आवश्यक निर्देश दिये गये :-

1. गत बैठक का अनुपालन :-

i. बक्सर प्रखण्ड अन्तर्गत दलसागर में रोड के दक्षिण 52 बीघे में अवस्थित पोखरा से अतिक्रमण हटाने एवं जासो में अवस्थित पोखरा पर जमीन के स्वामित्व को लेकर दायर वाद से संबंधित कागजातों का अध्ययन कर कार्रवाई करेंगे तथा सुस्पष्ट प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। अद्यतन स्थिति की पृच्छा करने पर अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि दलसागर रोड के दक्षिण 52 बीघे में अवस्थित पोखरा के अतिक्रमण के बिन्दु पर जांच की गयी है। उस पोखरा पर कुछ लोगों का इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बना है तथा कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाने हेतु अंचल अधिकारी, बक्सर के स्तर से दो बार नोटिस निर्गत किया गया है। जिन्हें इंदिरा आवास दिया गया है, वे गरीब है। आश्वस्त किया गया कि वर्षात के बाद अंयत्र वैकल्पिक व्यवस्था कर पुनर्वासित कर दिया जायेगा तथा पोखरा के अतिक्रमण भाग को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जायेगा।

जासो में अवस्थित पोखरा के संबंध में बताया गया कि जमीन के स्वामित्व को लेकर सब जज तृतीय के न्यायालय में वाद दायर है। ऐसी स्थिति में कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि पिछले बैठक में इसकी गहन समीक्षा की गयी थी तथा गठित टीम को कागजातों का अध्ययन कर ऐतिहासिक पोखरा से अतिक्रमण हटा कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु गठित टीम में पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा यथेष्ठ कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त दोनों मामलों में समय सीमा के अंदर अविलंब कार्रवाई की आवश्यकता है। समीक्षोपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि गठित कमिटि के माध्यम से दोनों पोखरा से संबंधित मामलों में एक सप्ताह के अंदर कागजातों का अध्ययन कराकर एक माह के अंदर कार्रवाई कर अनुपालन सुनिश्चित करायें। साथ ही दलसागर अवस्थित पोखरा पर किस पदाधिकारी के द्वारा इंदिरा आवास हेतु जमीन दिया गया है, की जांच कराकर कार्रवाई करें।

(अनु.:- अंचलाधिकारी, बक्सर/भूमि उप समाहर्त्ता, बक्सर/अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर/अपर समाहर्त्ता, बक्सर)

ii. श्री संजय कुमार ओझा, ग्राम सिंहनपुरा, ग्राम पंचायत- गायघाट, प्रखण्ड- सिमरी को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिलने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करने एवं SECC सूची में नियमानुसार नाम जोड़ने से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा उप विकास आयुक्त द्वारा कृत कार्रवाई की दी गई जानकारी पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि आवेदक गरीब है और प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण इंदिरा आवास योजना के लाभ से वंचित रहा है। गत बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। समीक्षोपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे जांच करायें कि आवेदक को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिलने में कौन पदाधिकारी/कर्मी दोषी है तथा क्या कार्रवाई की गयी। आवेदक का नाम इंदिरा आवास योजना की पूर्व की सूची में गलती सुधार करते हुए जोड़ा जाए।

(अनु0:- निदेशक, डी0आर0डी0ए0/उप विकास आयुक्त)

iii. गत बैठक में समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बक्सर एवं डुमरॉव को निदेशित किया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सभी पूर्ण योजनओं का स्थल पर बोर्ड लगवा कर उद्घाटन करवाना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन स्थिति की पृच्छा करने पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर द्वारा बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 05 योजनाएं पूर्ण है जिसका उद्घाटन कराना है तथा रामपुर से नागपुर पथ का शिलान्यास कराना है। बैठक में उपस्थित नवपदस्थापित सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कुल ली गई 05 योजनाओं में से 01 योजना पूर्ण, 02 योजना स्थगित तथा 02 योजना में रिसाईन के बाद पुन: कार्य कराया जा रहा है। जबकि गत बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 16 योजनाओं को पूर्ण बताया गया था। सहायक अभियंता द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। समीक्षोपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव को निदेशित किया गया कि सभी 16 पूर्ण योजनओं का स्वयं निरीक्षण कर लें कि क्या स्थिति है। निर्मित पथों का रख-रखाव ठीक हो, बोर्ड/शिलापट्ट लगा हो। फोटोग्राफी के साथ प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के माध्यम से सूचित करें।

(अनु0:- कार्यपालक अभियंता, ग्रा.कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,बक्सर एवं डुमरॉव)

NPCC से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति के संबंध में पृच्छा करने पर उपस्थित परियोजना अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत वर्ष 2005-11 तक कुल 84 पथ का

निर्माण कराया गया है। वितीय वर्ष 2016–17 में कुल 06 पथ का निर्माण पूर्ण कराया गया है, परन्तु उद्घाटन नहीं हुआ है। विभागीय नियमानुसार उन पथों में मरम्मति कराया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में सिमरी प्रखण्ड अंतर्गत काजीपुर से डुमरी 01 किमी0 पथ की मरम्मति अब तक नहीं होने के संबंध में पृच्छा करने पर परियोजना अभियंता, एन0पी0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि 0–1 कि0मी0 पथ ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बक्सर के क्षेत्रान्तर्गत है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित पथ के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर को पत्र भेज गया था। पृच्छा करने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है, स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा जा रहा है। वर्षात के बाद उक्त पथ में कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। समीक्षोपरांत माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल को निदेशित किया गया कि तत्काल संबंधित पथ को मोटरेबल बनावें ताकि आवागमन में परेशानी न हो। साथ ही एन0पी0सी0सी0 को निदेशित किया गया कि सभी पूर्ण 06 पथों में उद्घाटन का बोर्ड लगाकर प्रतिवेदित करें।

(अनु0:– कार्यपालक अभियंता, ग्रा0कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर /परियोजना अभियंता, एन0पी0सी0)

(iv) गत समीक्षा बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण करने वाले लाभुकों के प्रोत्साहन राशि भुगतान सुनिश्चित कराने के दिए गए निदेश की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के कम में अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पृच्छा करने पर जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिला को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराने हेतु कार्य योजना के तहत जिला स्तरीय, प्रखण्ड स्तरीय एवं पदाधिकारियें एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों के माध्यम नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। कुल सर्वेक्षित 198612 धरों में से 113180 घरों में लाभुकों के माध्यम से शौचालय निर्माण सुनिश्चित करा लिया गया है। 85432 शौचालय विहीन घरों में शौचालय निर्माण शेष बचा है। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से अनुश्रवण किया जा रहा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में स्वच्छता से संबंधित नियंत्रण कक्ष स्थापित कर टेलिफोन के माध्यम से प्रतिदिन प्रखण्डों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत चल रही गतिविधियों यथा शौचालय निर्माण उपरांत लाभुक से प्राप्त आवेदन पत्रों की MIS पर इन्ट्री, जियों टैगिंग एंव प्रोत्साहन राशि के भुगतान की सूचना प्राप्त कर प्रगति लायी जा रही है। अधिकांश लाभुकों द्वारा सेफ्टी टैंक युक्त शौचालय का निर्माण कराया गया है जबकि दो लीच पीट वाला सोख्ता युक्त शौचालय के निर्माण एवं उपयोग का विभागीय मानक है। इस संबंध में विभाग से भुगतान के बिन्दु पर लिखित निर्देश की मॉग की गई है। नियमित रूप से समीक्षा कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से लाभुक के खाते में प्रोत्साहन राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिला को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने में इतने कम समय में जिला पदाधिकारी द्वारा किए गए कार्रवाई पर माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा व्यक्त किया गया। साथ ही बताया कि लोगों की शिकायत भुगतान के बिन्दु पर है, जिसमें प्रगति लाने की आवश्यकता है।

समीक्षा के कम में माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की कार्रवाई लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से एन0जी0ओ0 द्वारा की जा रही थी। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर को निदेशित किया गया कि जिला में किस एन0जी0ओ0 के द्वारा शौचालय निर्माण की कार्रवाई की गई थी एवं कितने शौचालय निर्माणाधीन है या निर्माण नहीं किया गया, परन्तु एन0जी0ओ0 को भुगतान कर दिया गया। इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करायें। साथ ही उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया कि सभी प्रखण्डों से भी जानकारी प्राप्त करें।